

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

परिक्षेत्र कानपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है-

1.पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र के प्रभारी है, जो परिक्षेत्र के अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिये दायित्वाधीन है। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उन्हें कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले के अधीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस संगठन:-

कानपुर परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है:-

पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस अधीक्षक
पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर
	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा
	पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात
	पुलिस अधीक्षक, औरैया
	पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़
	पुलिस अधीक्षक, कन्नौज

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण

क्र0सं0	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1.	पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण कानपुर (पद रिक्त है)	परिक्षेत्र में प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों / अधिकारियों के प्रशिक्षण का समन्वय व मार्गदर्शन करना	पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर
2.	अवर अभियन्ता कानपुर परिक्षेत्र	भवनों के निर्माण, मरम्मत, तथा रख-रखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परीक्षम रिपोर्ट तैयार करना	पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर

पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, परिक्षेत्र कानपुर द्वारा पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 में निहित कर्तव्यों, शक्तियों /दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

2.1 पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालयों / शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण ।

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम-पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक (जनवरी - मार्च)
शीर्षक द्वितीय-आंकिक शाखा	उपरोक्त
शीर्षक तृतीय-पुलिस लाइन्स	उपरोक्त
शीर्षक चतुर्थ-अभियोजन शाखा	उपरोक्त
शीर्षक पंचम - अपराध	उपरोक्त
शीर्षक-षष्ठम-जनपद का सामान पुलिस प्रशासन	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-1 जनपदों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतों का निस्तारण	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-4 अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-5 अधाकारियों के दौरों की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्ठम-6 थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो बार (जनवरी-जून) (जुलाई-दिसम्बर)
शीर्षक षष्ठम-7 जनप्रतिनिधियों से भेंट	उपरोक्त
शीर्षक अष्टम-8 पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक वर्ष में एक ही मीटिंग का जाय, जिसमें आई0जी0, डी0आई0जी0, व पुलिस अधीक्षक उपस्थित हों
शीर्षक सप्तम-भवन	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम	
अष्टम-1 महिला प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल-अक्टूबर)
अष्टम-2 विशेष जांच प्रकोष्ठ	उपरोक्त
अष्टम-3 जनपद अपराध अभिलेख ब्यूरो	उपरोक्त
अष्टम-4 फील्ड यूनिट जनपद	उपरोक्त
अष्टम-5(1) जिला नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
अष्टम-5(2) नगर नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
शीर्षक नवम स्थानीय अभिसूचना इकाई	उपरोक्त
शीर्षक दशम थानों का निरीक्षण	जनवरी-जून 2 थाने जुलाई-दिसम्बर 2 थाने

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.1.1 पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थनों पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	2	3	4
1	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	अविलम्ब
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के जन शिकायत प्रकोष्ठ के अधिकारी	01 दिवस में
3	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
4	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस
5	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
6	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफतर करने हेतु अन्तिम आदेश करना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
7	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफतर करना	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 दिवस में
8	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 वर्ष तक

3.1.2 पुलिस महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयवधि
1	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	अविलम्ब
2	प्रधानलिपिक/गोपनीय सहायक द्वारा लिफाफों को खोला जाना	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ	अविलम्ब
3	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस महानिरीक्षक	01 दिवस में
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ	अविलम्ब
5	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना	वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
6	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
7	सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
8	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफतर करने हेतु अन्तिम आदेश करना	पुलिस महानिरीक्षक	01 दिवस में
9	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफतर करना	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ	01 दिवस में
10	जांच रिपोर्ट का रख-रखाव	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ	01 वर्ष तक

3.2 परिक्षेत्र स्तर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सम्बन्धित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना	वाचक पुलिस महानिरीक्षक	
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	
क्रमागत आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में तथा शेष 01 माह के अन्तराल में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का प्रेषित किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	07 दिवस में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का निराकरण	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली बन्द किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	

4 कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाले मानदण्ड

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिये निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
2	पुलिस महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना ।
2. बिना किसी भाय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना ।
3. पुलिस जन को अपन अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना ।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो तो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना ।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना ।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है ।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिये कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है ।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव रखना ।
9. पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिये तत्पर रहना ।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना ।

11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना ।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना ।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहना ।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

1. पुलिस अधिनियम-1861
2. भारतीय दण्ड संहिता 1861
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
6. साक्ष्य अधिनियम 1872
7. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991
8. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
9. वित्तीय हस्त पुस्तिका
10. समय-समय पर निर्गत शासनादेश
11. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं ।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं--

1. सेवा सम्बन्धी अभिलेख ।
2. विशेष अपराध का विवरण HCMS सिस्टम पर ।
3. कानून-व्यवस्था एवं अपराधइक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियां ।
4. वेतन, भत्ते, आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभिलेख ।
5. शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख ।
6. गार्ड फाईल ।
7. भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख ।
8. परिक्षेत्र में पीएसी आवंटन सम्बन्धी अभिलेख ।
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख ।

7. जनता की परामर्श दात्री समितियां जो संगठन में अर्न्तनिहित हैं ।

शून्य

8. बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिये मौजूद हैं-

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है ।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर कार्यालय में नियुक्त/सम्बद्ध अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्र०सं०	पदनाम अधिकारी गण	नाम अधिकारीगण	आवास	कार्यालय /फैक्स	सी०यू०जी
1	पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर	श्री मोहित अग्रवाल	0512- 2530663	05122536036	9454400211
2	अवर अभियन्ता	श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव		0512-2530663 0512-2536036	
3	प्रधान लिपिक	महमूद अख्तर सिद्दीकी		0512-2530663 0512-2536036	
4	गोपनीय सहायक	श्री रविकान्त श्रीवास्तव		0512-2530663 0512-2536036	
5	निरीक्षक०(एम०)	श्रीमती किरन बाला		0512-2530663 0512-2536036	
6	वाचक-प्रथम	डा० विनोद सिंह		0512-2530663 0512-2536036	
7	प्रभारी जन-शिकायत प्रकोष्ठ	श्री मधूसूदन गौड़		0512-2530663 0512-2536036	
8	प्रभारी सीसीटीएनएस	श्री अजय कुमार मिश्रा		0512-2530663 0512-2536036	
9	प्रभारी आईजीआरएस	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी		0512-2530663 0512-2536036	

10. कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद	मूल वेतन
1	पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर	1,77,400
2	अवर अभियन्ता	91,400
3	प्रधान लिपिक (एस०आई०(एम))	60,400
4	गोपनीय सहायक	95,800
5	निरीक्षक (एम०)	74,300

11. बजट (दिनांक 31-08-2019) की स्थिति के अनुसार

क्र०सं०	मानक मद	चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019	
		अनुदान	व्यय
1	01-वेतन	6000000	2928100
2	02-मजदूरी	6200	-
3	03-महंगाई भत्ता	900000	380166
4	04-यात्रा व्यय	31000	-
5	05-स्थानंतरण यात्रा व्यय	31000	-
6	06-अन्य भत्ते	200000	52984
7	07-मानदेय	-	-
8	08-कार्यालय व्यय	62000	61787
9	09-विद्युत व्यय	271000	-
10	11-लेखन समाग्री और फार्मों की छपाई	20600	-
11	12-फर्नीचर क्रय	6200	-
12	13-टेलीफोन व्यय	33000	-
13	17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	38000	38000
14	23-गुप्त सेवा व्यय	20000	20000
15	29-अनुरक्षण	68000	-
16	42-अन्य व्यय	3100	3004
17	03-एस0ए0एफ	1000	1000
18	09-पुलिस कल्याण के लिये विशिष्ट अनुदान	1000	870
19	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	10300	10200
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	6200	-
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	-	-
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	12400	12400
23	49-चिकित्सा व्यय	102000	-
24	51-वर्दी व्यय	-	-
25	55- HRA	146400	124880
26	56- CCA	27600	24822

12.सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ता का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप छूट, करायी गयी सूचना

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

15.अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को सुविधायें

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस महानिरीक्षक/वाचक, पुलिस महानिरीक्षक	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात् 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

16. जन सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है-

क्र०सं०	जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1.	श्री महमूद अख्तर सिद्दीकी 9454400211	निरीक्षक ना०पु० डा० विनोद सिंह 0512-2530663	श्री पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर ।

17. अन्य कोई विहित सूचना

शून्य


24/12/2020
जन सूचना अधिकारी (प्रथम)
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक
कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर ।